



आर.बी.आई द्वारा पी-2-पी लेंडिंग फर्मों का वनियमन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना में यह स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि जल्द ही सभी पी-2-पी लेंडिंग फर्मों को भारतीय रज़िर्व बैंक के दायरे में लाया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि अब इन फर्मों का वनियमन भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर अब सभी पी-2-पी ऋण प्लेटफॉर्मों (P2P loan platforms) को गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (non-banking financial companies -NBFCs) माना जाएगा तथा उन्हें बैंक वनियामक अर्थात् भारतीय रज़िर्व बैंक के दायरे में लाया जाएगा।
- रज़िर्व बैंक अधिनियम, 1934 में उल्लिखित है कि पी-2-पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म के कार्यों का संचालन करने वाले गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों को गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों समझा जाएगा।
- ध्यातव्य है कि यह अधिसूचना रज़िर्व बैंक द्वारा पी-2-पी लेंडिंग फर्मों के वनियमन हेतु जारी किये जाने वाले मानदंडों से पूर्व ही जारी कर दी गई है।
- यद्यपि यह भारत में नया है और अत्यधिक महत्वपूर्ण भी नहीं है परंतु पी-2-पी लेंडिंग के कारण वभिन्न हितधारकों (जैसे-ऋण लेने वाले, ऋणदाता और एजेंसियाँ आदि) को होने वाले लाभ और वित्तीय व्यवस्था को होने वाले जोखिम इतने अधिक हैं, कि उन्हें नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता है।
- रज़िर्व बैंक ने एक परामर्श पत्र में पी-2-पी लेंडिंग फर्मों के वनियमन के विषय में तर्क दिया था। इसके अनुसार, इन फर्मों में वित्तीय क्षेत्र को बाधित करने की अपार क्षमता है।
- रज़िर्व बैंक का मानना है कि पी-2-पी ऋण प्लेटफॉर्म द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वैकल्पिक लेंडिंग चैनल (alternative lending channel) को भी स्वीकृति दी जाने की आवश्यकता है।
- यह अधिसूचना पी-2-पी ऋणदाताओं को आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने, फंड की वसूली के नए मार्ग खोलने और कारोबार का विस्तार करने में सहायता करेगी।
- वनियामक द्वारा पी-2-पी लेंडिंग फर्मों को दिये गए दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये फर्मों नज़ी नविशकों के धन से संबंधित हैं।

क्या होगा लाभ?

- पी-2-पी लेंडिंग फर्मों को गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों का दर्ज़ा देने से उस 'वनियामक शून्यता' (regulatory vacuum) की समाप्ति हो जाएगी, जसि पर अभी तक ये फर्मों कार्य कर रही थीं। अब इन फर्मों को आधिकारिक मान्यता प्राप्त होगी।
- रज़िर्व बैंक का नियामकीय दायरा इस क्षेत्र में विश्वसनीयता को बहाल करने में मददगार होगा।
- इस अधिसूचना के प्रभाव में आने पर ऋणदाताओं को पी-2-पी लेंडिंग फर्मों के साथ कार्य करने में अधिक आसानी होगी।
- इस प्रकार 'संस्थागत फंडिंग' (institutional funding) को भी अनुमति प्रदान की जाएगी। अभी तक किसी भी 'संगठित उद्यम पूंजी' (organized venture capital firm) फर्म को इस क्षेत्र में नविश करते हुए नहीं देखा गया था, परन्तु अब इस प्रवृत्ति में बदलाव आएगा।

क्या है पी-2-पी लेंडिंग फर्म?

- 'एग्रीगेटर फर्मों' (aggregator firms) के विपरीत पी-2-पी लेंडिंग फर्मों ऋण लेने वालों (borrower) को ऋण देने से पूर्व ऋणदाता से धन प्राप्त करती हैं।
- पी-2-पी लेंडिंग फर्मों उन क्षेत्रों में वित्त के वैकल्पिक रूपों को बढ़ावा देती हैं, जहाँ औपचारिक वित्त का पहुँचना संभव नहीं होता है।
- कम परचालन लागत तथा परंपरागत ऋणदाता चैनलों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण इनमें लेंडिंग दरों को कम करने की भी क्षमता होती है।
- रज़िर्व बैंक के अनुसार, पी-2-पी लेंडिंग "क्राउडफंडिंग" (crowdfunding) का एक प्रकार है जिसका उपयोग ऐसे ऋणों की वसूली के लिये किया जाता है, जिनका भुगतान व्याज के साथ करना हो।
- इन्हें एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो असुरक्षित ऋण को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऋणदाताओं (lenders) और ऋण लेने वालों (borrowers) के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है।

भारत में पी-2-पी लेंडिंग कंपनियों

- भारत में पी-2-पी लेंडिंग बाज़ार आश्चर्यजनक रूप से उभर रहा है। यह उन भरोसेमंद और विश्वसनीय व्यक्तियों (जिनमें धन की आवश्यकता होती है)

- को उन ऋणदाताओं (जो अपने नविश पर उच्च रटिरन प्राप्त करने के लिये अपने धन का ऑनलाइन नविश करना चाहते हैं) से जोड़ता है।
- भारत में रुपया एक्सचेंज एक पी-2-पी लैंडिंग कंपनी है जो आभासी बाज़ार के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण को आसानी से उपलब्ध कराती है।

अप्रैल 2016 को जारी किये गए परामर्श पत्र में पी-2-पी ऋणदाताओं के लिये आर.बी.आई द्वारा सुझाए गए वनियामक ढाँचे के महत्वपूर्ण बडि-

- पी-2-पी प्लेटफार्म को एक कंपनी की तरह स्थापति कया जाना चाहयि।
- इनके पास 2 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी होनी चाहयि।
- धन-शोधन के खतरे से बचने के लिये फंड का प्रवाह ऋणदाता के बैंक खाते से सीधे ऋण लेने वाले के खाते में कया जाना चाहयि।
- इन्हें 'कारोबार साततय योजना' (business continuity plan) की आवश्यकता होगी।
- ग्राहकों के डाटा की वशिवसनीयता को बनाए रखना पी-2-पी फर्मों का दायत्व होगा।
- पी-2-पी फर्मों को असाधारण अथवा आश्वस्त वापसी की गारंटी देने से रोकना।
- इन्हें उचति शकियत नविरण तंत्र की स्थापना करनी होगी।
- इनके ऋण वसूली के अनुभवों को मौजूदा गैर-बैंकगि वत्ततीय कंपनयिों से सम्बद्ध कया जा सकता है।

नषिकर्ष

यह उचति है कभारत में पी-2-पी लैंडगि बाज़ार तेज़ी से उभर रहा है परंतु इसका वनियमन अतः आवश्यक है। अपेक्षा है कसिरकार दवारा जारी की गई अधसूचना के पश्चात् नकित भवषिय में बैंक भी पी-2-पी लैंडगि फर्मों के साथ गठजोड़ कर सकते हैं, क्योकिये फर्में अब रज़िर्व बैंक के दायरे में रहकर कार्य करेगी।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/regulation-of-p-2-p-landing-firms-by-rbi>

